न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 104/2021
GCMS NO. : 2021/214

–: प्रार्थीगण :–
1. आमना पत्नी शौकीन काठात
2. शबनम पुत्री शौकीन काठात
3. अरमान पुत्री शौकीन काठात
4. रिना पुत्री शौकीन काठात सायलान संख्या 02 से 04 नाबालिग की कुदरती वलिया सायल 01 आमना जातियान– मुस्लिम, निवासीगण– बगतपुरा तहसील जैतारण।

बनाम

–: अप्रार्थीगण :–
1. शौकीन पुत्र खाजू जाति– मेहरात, निवासी– बगतपुरा, तहसील– जैतारण, जिला– पाली(राज.)
2. तहसीलदारजैतारण, तहसील– जैतारण, जिला– पाली राज0।

राजस्वप्रार्थना पत्रबाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 तारीख रजू:–06.07.2021

उपस्थित:–
1. श्री शरीन नाजीक, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– दिनॉक:–27/07/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया किसायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि सायला आमना की निकाह (शादी) गैरसायल संख्या 1 शौकिन के साथ आबादी मौजा सबलपुरा (अजमेर) में करीब 18 वर्ष पूर्व हुई थी। उस समय सायला के पिता इस्माईल माता जमना व दो गवाह की मौजूदगी में मुस्लिम रीति रिवाज अनुसार परस्पर एक–दूसरे की सहमति से हुई थी तब से सायला, गैरसायल संख्या 1 के साथ बहैसियत पति–पत्नि का धर्म निभाते हुए गांव बगतपुरा तहसील जैतारण में रह रहे है। सायला व गैरसायल के वैवाहिक जीवन में निर्वाह व सहवास से 2 पुत्री शबनम व रिना व एक पुत्र अरमान हुआ। सायला निकाह होने के बाद गैरसायल के यहॉ ससुराल आई वहाँ पर शौकीन के पास एक कच्चा मिट्टी का कमरा जिस पर घास फूस रखा था बकाया खुला चौक था। उसमें मैं रही। करीब 6–7 वर्ष तक शौकीन ने अच्छा व्यवहार रखा व सायला को कहता रहता कि तेरे भाई– पिता पैसे वाले है, वहाँ से पैसे लेकर आ, ताकि मैं खेती की जमीन खरीद सकु इस बाबत गैरसायल संख्या 1 ने सायला पर बहुत दबाव बनाया मजबूरन सायला ने अपने पिता को यह बात बताई कि गैरसायल संख्या 1 शौकीन काश्त के लिए खेती की जमीन खरीदना चाहता है, तब सायला के पिता ने कहा कि पैसों की व्यवस्था करके तुम्हे दे दूंगा। इस पर सायला के पिता ने अपनी पत्नि के जेवर सोने के बेचकर व कुछ पैसे दिये, स्वयं से मिलाकर कुल 5,00,000/– रूपये गैरसायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला–पाली

को जमीन खरीदने के लिए दिए थे व सायला के पिता ने पैसे देते वक्त यह शर्त रखी थी कि मेरी पुत्री सायला आमना के नाम यह कृषि की भूमि ले लेना। मगर सायला अनपढ़ है व पति शौकीन होशियार व चालाक है उन रुपयों से गैरसायल ने अपने नाम मानी से कुल 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि खरीद कर बेचान रजिस्ट्री अपने नाम करवा ली। बाद में सायला के पिता बगतपुरा आये तो पता चला कि उनके द्वारा दिये गये रुपयों से गैरसायल अपने नाम बेचान रजिस्ट्री करवा ली है। जिस पर सायला के पिता ने गैरसायल को कहा कि आपने हमारे साथ धोखा किया है तो उस समय गैरसायल ने कहा कि यह मेरे नाम जो रजिस्ट्री करवाई है वह भूमि मैने सायला को सुपुर्द कर दी व मालिक सायला ही रहेगी। जिस पर सायला ही काश्त करती है उस भूमि का उपयोग–उपभोग कर रही है, क्योंकि गैरसायल शराब पीने का आदि है। गैरसायल द्वारा सायला को अपनी पत्नि होने के नाते उसका कब्जा संरक्षण के अधिकार भी दे दिये है। तब से आज तक सायल विवादग्रस्त भूमि पर काबिज व काश्तकार है उक्त विवादित भूमि के खसरा संख्या 2502 रकबा 19 बिस्वा का 1/3 हिस्सा, खसरा संख्या 2504/2 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा का 1/3 हिस्सा, खसरा संख्या 2565 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा का 1/2 हिस्सा है जो क्रेता मानी ने कुल 2 बीघा 5 बिस्वा भूमि की गैरसायल के नाम बेचान रजिस्ट्री की है, परन्तु सायला के पिता द्वारा उक्त जमीन खरीदने के लिए रुपयें देने व गैरसायल द्वारा सायला को कब्जा सुपुर्द कर देने से, सायला के खातेदारी अधिकार मिल गये है इसलिए सायलान के पक्ष में दुरुस्ती रेकर्ड की घोषणा किया जाना आवश्यक है। विर्निदिष्ट दस्तावेज गैरसायल संख्या 1 के द्वारा जो खातेदार है। सायला अधिक समय से काबिज काश्तकार होने से विवादित भूमि की घोषणा की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है। उपरोक्त विवादित भूमि पर सायलान संख्या 2,3,4 नाबालिगान का भी हक अधिकार व हिस्सा है। गैरसायल उक्त भूमि को अपने नाम होने से गैरसायल किसी अन्य व्यक्ति को बेचान करने पर उतारु हैं। सायलान ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। क्योंकि मौके पर सायलान का कब्जा काश्त होने से सायलान ही एकमात्र मालिक व भोक्ता है। मौके पर सायलान द्वारा फसल बोई गई है, अगर उन्हें जबरदस्ती बेदखल कर दिया गया तो सायलान अपने हक हकुको से महरुम रह जायेगे व उन्हें भारी हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर से संभव नहीं है। गैरसायल हमेशा शराब के नशे में रहता है। सायला के छोटे–छोटे बच्चे है उसके रहने के लिए भी घास फूस के कच्चे कमरे के अलावा कोई मकान नही था इसलिए सायला के पिता द्वारा विवादग्रस्त कृषि भूमि दिला देने के बाद भी गैरसायल मकान बनाने के पैसों के लिए तंग, परेशान व मारपीट करता था। जिस पर सायला के पिता व भाई घासफूस कच्चे कमरे [illegible] को पैसे देकर एक पक्का मकान निर्मित करवाया, जिसको तैयार किये [illegible] है। इस मकान में लगने वाले खर्चो व पैसों की व्यवस्था सायला के भाई [illegible] अपनी पत्नि के 3 तोले सोने के जेवरात ब्यावर निवासी दिपक सोनी के यहा गि[illegible] रख कर होली के दिन रुपये लाकर सायला के घर की सामग्री लाने के लिए दिये। इसके अलावा मकान निर्माण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला–पाली

अधूरा होने से सायला के पिता ने सोमलपुर अजमेर चल रही एक लाख की बीसी तुड़वाकर व एक गाय व एक भैंस बेचकर सायल को 2 लाख रुपयें लाकर मकान निर्माण को पूरा करने के लिए दिये। जिस पर मकान करीब 7 लाख रुपयें लगकर मकान कार्य पूर्ण करवाया। जिस पर सायलान व गैरसायल अपने परिवार सहित निवास कर रहे है। इस प्रकार उपरोक्त मकान भी सायलान का ही है, व सायलान का ही हक व अधिकार है। उपरोक्त विवादित कृषि भूमि बेचान करने का गैरसायल ने एलानिया धमकी दिनांक 09.06.2021 को दी व सायला के साथ गैरसायल ने मारपीट की जिससे सायला ने रास थाने में एक रिपोर्ट पेश की जिस पर पुलिस अनुसंधान अधिकारी ने गैरसायल को गिरफ्तार कर धारा 151, 107 सीआरपीसी में पेश किया जहा से वह 6 माह के लिए पाबन्द है। जिसकी नकल संलग्न है। उपरान्त भी गैरसायल बार-बार सायलान को उक्त विवादित कृषि भूमि बेचान करने की धमकीया दे रहा है। इसलिए गैरसायल को ऐसा करने से हमेशा-हमेशा के लिए उसके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर किया जाना न्यायतन जरुरी है। सायला द्वारा कई बार गैरसायल को कहा कि मेरे पिता द्वारा दिये गये रुपयों के एवज में जो अपने कृषि भूमि खरीदी है वह कृषि भूमि मेरे नाम करवाओ क्योंकि आप कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को विवादित कृषि भूमि विक्रय कर दोगे व करने पर उतारु हो। मैं ऐसा हरगिज करने नहीं दुंगी जिससे और लड़ाई-झगड़ा होगा जिससे मल्टीप्लीसीटी ऑफ प्रोसेडिंग होगी। इसलिए मेरी कब्जा व काश्तसुदा भूमि जो मेरे अधिकार में है रेवेन्यू रेकर्ड में दुरुस्त रेकर्ड की घोषणा की डिक्री सायलान के पक्ष में जारी किया जाना आवश्यक है। इसलिए गैरसायल के विरुद्ध यह घोषणा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। विवादित भूमि पर सायला द्वारा वर्तमान में बाजरी, जवार की फसल बोई हुई है। इसलिए सायला काबिज खातेदार काश्तकार है। सायला ने अपने कृषि भूमि परमिट्टी देशी खाद डालकर उसको उपजाऊ की है। मौके पर बाड़बन्दी की हुई है इसलिए सायला का मौके पर कब्जा व काश्त बखुबी साबित है। इसलिए उसके कब्जेकाश्त की भूमि में गैरसायल बेचान, बख्शिश नहीं करे। सायलान अपने नाम रेकर्ड दुरुस्त करवाने की हकदार है। इसलिए श्रीमान के न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। गैरसायल संख्या 2 राज्य सरकार के प्रतिनिधि लेण्ड लॉर्ड है। उनके विरुद्ध कोई अनुज्ञा नही चाही उनको सिर्फ राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने से पक्षकार बनाया है। सायलान का विवादित कृषि भूमि पर लम्बे समय से कब्जाकाश्त होने व सायला द्वारा काश्त करने से व सायला के पिता द्वारा गैर सायल को रुपयें देकर विवादित कृषि भूमि क्रय की तब से वादीया इस विवादित कृषि भूमि की मालिक भौक्ता है। सायला के पिता को बेचान रजिस्ट्री क़ी मालूम पड़ते ही [illegible] आया व सायला को विवादित कृषि भूमि का कब्जा सुपुर्द करवा[illegible]में प्रेमाफेसाई केस बखूबी साबित है व विवादग्रस्त [illegible] की होने से उसका लगातार कब्जाकाश्त होने से व सायला द्वारा विवादग्रस्त भूमि पर मिट्टी डलवाकर, खाद डलवाकर, उसको उपजाऊ बनाई है। जिसमें सायला ने बाजरी व मक्का की फसल

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

बोई है, इस प्रकार सायलान का शांतिपूर्वक कब्जाकाश्त चला आ रहा है, इसलिए सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में है। अगर गैर सायल द्वारा सायलान को बेदखल कर दिया गया तो व किसी अन्य व्यक्ति को बेचान कर दिया गया तो सायलान को असीम हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं होगी। लिहाजा प्रार्थना पत्र मय दस्तावेजात के सशपथ पेश कर अर्ज है। कि दौराने वाद सायलान संख्या 1 से 4 सायलान के कब्जेकाश्त की कृषि भूमि से, गैर सायल बेदखल नहीं करें व न ही इस बाबत कोई विवाद करे व गैर सायल संख्या 1 किसी के बहकावें में नहीं आवे व सायल को सुपुर्द की गई अपने हिस्से की भूमि से किसी व्यक्ति को बेचान, बख्शीश व वसीयत नहीं करे। ऐसी अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश वाद के निस्तारण तक खिलाफ गैरसायलान जारी फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस/सम्मन तलब किया। अप्रार्थीगण संख्या 01 बावजूद नोटिसेज सूचना/तामिल के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात, गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन व विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिंदूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

(01) प्रथम दृष्ट्या मामला :- वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् वादपत्र प्रस्तुत कर हस्तगत अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थिया के पैसो से प्रार्थिया के पति एवं अप्रार्थी संख्या 01 के नाम क्रय की गई थी। जिसे अप्रार्थी संख्या 01 बैचान करने पर आमादा है, प्रार्थी संख्या 02 से 04 नाबालिग है प्रार्थीया वक्त क्रय से वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त व निवासरत् है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थना पत्र एवं उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा क्रयशुदा स्वअर्जित आराजी है तथा प्रार्थीया संख्या 01 अप्रार्थी की पत्नी एवं प्रार्थीगण संख्या 02 से 04 इनके बच्चे है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही हो सकता है अतः यह बिन्दू प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित किया जाता है।

(02) सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :- चुंकि प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के विरुद्ध निर्णित हुआ हैं, साथ ही प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के अभिलिखित खातेदार नहीं है, साथ ही वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 01 की क्रयशुदा स्वार्जित आराजी है, अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में नही माना जा सकता तथा न ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही करने से प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति संभावित है, लिहाजा उपर्युक्त दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होनें से प्रार्थी के विरुद्ध निर्णित किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:59:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

अतः उपर्युक्त बिंदूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि प्रार्थी प्रार्थना–पत्र साबित करनें में पूर्णतया असफल रहा हैं, अतः प्रार्थना–पत्र अस्वीकार/खारिज . किया जाना पूर्णतया विधि सम्मत् एवं उचित रहेगा।

–: आदेश :–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण/वादीगण अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली–भाँति साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी निमित निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक **27/07/2022** को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:35:13 IST
Reason: SelfAttested